बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त
(PRINCIPLES OF BASIC EDUCATION)

बुनियादी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्त निम्नांकित हैं–

1. जनसाधारण की शिक्षा (Education of the Masses)–भारत की अधिकांश साधारण जनता–अज्ञानता के अन्धकार से आवृत्त है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का सर्वप्रथम सिद्धान्त–जनसाधारण को शिक्षित बनाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, **गाँधीजी** के निम्नांकित कथन के अनुसार कार्य किया जा रहा है–''जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है। अतः उसका अन्त किया जाना अनिवार्य है।''

"Mass illiteracy is India's sin and shame and must be liquidated."

—**M. K. Gandhi :** *India of My Dreams*, p. 181.

2. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा (Free & Compulsory Education)–गाँधीजी ने भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की।

3. स्वावलम्बी शिक्षा (Self-Supporting Education)–**गाँधीजी** ने बुनियादी शिक्षा के आधार-भूत सिद्धान्त की ओर संकेत करते हुए कहा–''सच्ची शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा से पूँजी के अतिरिक्त वह सब धन मिल जाना चाहिए, जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया जाय।''

बुनियादी शिक्षा के इस स्वावलम्बी पहलू के प्रति विशेष ध्यान देकर उसे स्वावलम्बी बनाया गया है। **डॉ. एम. एस. पटेल** के अनुसार, बुनियादी शिक्षा दो प्रकार से स्वावलम्बी है–(i) बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने वाला बालक किसी हस्तशिल्प को सीखकर, उसे अपने भावी जीवन के निर्वाह का साधन बनाए, और (ii) विद्यालय के बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर, अध्यापकों को वेतन दिया जाय। इस प्रकार, बालक अपने विद्यालय-जीवन और भावी जीवन–दोनों में अपने ऊपर निर्भर होकर, स्वावलम्बी बन सकता है।

4. सामाजिक शिक्षा (Social Education)–बुनियादी शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का नव-निर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो स्वार्थ एवं शोषण विहीन हो, जो प्रेम एवं न्याय पर आधारित हो, और जिसके मूलमन्त्र–सत्य एवं अहिंसा हों। यही कारण है कि बुनियादी विद्यालयों में बालकों को इसी प्रकार के समाज में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। **रायबर्न** (Ryburn) का कथन है–''बुनियादी विद्यालय एक वास्तविक सामाजिक इकाई बन जाता है और बच्चों को साथ-साथ रहने की कला का वास्तविक प्रशिक्षण मिलता है।''

5. शिक्षा का माध्यम, 'मातृभाषा' (Mother-Tongue as Medium of Instruction)–बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। इतिहास हमें बताता है कि किसी देश की संस्कृति का विनाश करने के लिए, उसके साहित्य का विनाश किया जाता है। इसी सिद्धान्त का अनुगमन करके, अंग्रेजों ने हमारे देश में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया गया है और मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है।

6. **हस्तशिल्प की शिक्षा (Training in Handicraft)**—बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प का केन्द्रीय स्थान है और सब विषयों की शिक्षा उसी के माध्यम से दी जाती है। हस्तशिल्प को केन्द्रीय स्थान प्रदान करने का कारण **गाँधीजी** के अग्रांकित शब्दों में विदित हो जाता है—''साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है। अतः मैं बच्चे की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा आरम्भ करता है, उसी समय से उत्पादन करने के योग्य बनाकर आरम्भ करना चाहता हूँ।''

7. **शारीरिक श्रम (Manual Labour)**—बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प के माध्यम से शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इससे अग्रांकित चार लाभ होते हैं—(i) इससे बालकों की शिक्षा का व्यय निकल आता है; (ii) इससे उनको किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है; (iii) इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और उनमें शारीरिक श्रम के प्रति घृणा नहीं रह जाती है; और (iv) गाँधीजी के शब्दों में—''बालक के शरीर के अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग उसके मस्तिष्क को विकसित करने की सर्वोत्तम और शीघ्रतम् विधि है।''

बुनियादी शिक्षा के गुण या विशेषताएँ
(MERITS OR CHARACTERISTICS OF BASIC EDUCATION)

अविनाशलिंगम् ने बुनियादी शिक्षा को महत्त्व गाँधी का ''महानतम् उपहार'' बताया है। इसका कारण यह है कि इसमें अनेक अद्वितीय गुण या विशेषताएँ हैं, यथा—

1. **क्रिया-प्रधान शिक्षा (Activity-Centred Education)**—बुनियादी शिक्षा क्रिया-प्रधान है, क्योंकि इसमें सम्पूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है। **रायबर्न** के अनुसार—''बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर मानसिक अनुभवों के साथ-साथ अन्य प्रकार के अनुभव की प्राप्ति करता है।''

2. **बालक-प्रधान शिक्षा (Child-Centred Education)**—बुनियादी शिक्षा बालक प्रधान है। इसमें बालक को शिक्षा का ''ग्राहक'' समझा जाता है। अतः उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनको पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है। **डॉ0 एस0 एन0 मुकर्जी** के शब्दों में—''नई तालीम बाल-केन्द्रित शिक्षा है और बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है।''

3. **गृह, स्कूल व समाज में सामंजस्य (Harmony between Home, School & Society)**—बुनियादी शिक्षा—गृह, स्कूल और समाज के जीवन में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करती है। इसका कारण बताते हुए, **रायबर्न** ने लिखा है—''बालक, हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करके अपने को गृह, स्कूल और समाज में प्रायः समान वातावरण में पाता है।''

4. **आर्थिक आधार (Economic Basis)**—बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। इसके समर्थन में दो तर्क उपस्थित किए जा सकते हैं; यथा—(i) बुनियादी विद्यालयों में बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचने से विद्यालय का कुछ व्यय निकल सकता है, और (ii) बालक किसी हस्तशिल्प को सीखकर अपने भावी जीवन में धन का अर्जन कर सकता है। एक अन्य तर्क **डॉ0 एस0 एन0 मुकर्जी** के शब्दों में—''बुनियादी शिक्षा का प्रयोजन बेरोजगारी समस्या का समाधान करता है।''

5. **सामाजिक आधार (Social Basis)**—बुनियादी शिक्षा का आधार सामाजिक है, क्योंकि इसमें बालक के अनेक सामाजिक गुणों को विकसित करने की चेष्टा की जाती है। बालक में हस्तशिल्प के माध्यम से सेवा और स्नेह, सहयोग और सहिष्णुता, आत्म-संयम और आत्म-विश्वास के गुणों को सुविकसित करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाता है।

6. मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Basis)—बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें बालक को प्राधानता दी जाती है, न कि उसके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले पाठ्य-विषयों को। बालक का स्वाभाविक विकास किसी कार्य में संलग्न होकर ही हो सकता है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर, बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प द्वारा उत्पादक कार्य को प्रधान स्थान दिया गया।

7. शारीरिक श्रम का सम्मान (Dignity of Physical Labour)—बुनियादी शिक्षा बालक में शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना का निर्माण करती है। बालक स्वयं हस्तशिल्प के माध्यम से किसी उत्पादक कार्य को करता है। अतः वह शारीरिक श्रम को महत्त्व देने लगता है और इस प्रकार का श्रम करने वाले व्यक्तियों को आदर की दृष्टि से देखने लगता है।

8. समवायी शिक्षण-विधि (Correlated Method of Teaching)—बुनियादी शिक्षा में ''समवायी शिक्षण-विधि'' का प्रयोग किया जाता है। बालक को समस्त विषयों की शिक्षा किसी कार्य या हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाती है। दूसरे शब्दों में, उसे क्रिया के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। वह कृषि, कताई-बुनाई, काष्ठ-कला आदि में से किसी हस्तशिल्प का चयन करता है। उसके पश्चात्, वह उस कार्य को करके, उसका और उससे सम्बन्धित कार्यों का ज्ञान प्राप्त करता है।

हम अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से **मिलापचन्द्र दुबे** के अग्रांकित शब्द उद्धृत कर रहे हैं—''बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी द्वारा शिक्षा को प्रधानता दी गई है और विविध विषयों के ज्ञान की रचना भी इसी मूल-उद्योग के इर्द-गिर्द की गई है। दस्तकारी को ज्ञान का वाहन अथवा साधन बनाया गया है। तात्पर्य यह है कि विविध विषयों का ज्ञान बालक की क्रियाओं से ही सम्बन्धित किया जाता है। इसी सम्बन्ध के जोड़ने को 'समवाय' कहते हैं।''

9. ज्ञान की अखण्डता (Unification of Knowledge)—बुनियादी शिक्षा में ज्ञान को एक अभिन्न और अखण्ड इकाई माना जाता है। अतः शिक्षा के सब विषयों को अलग-अलग विभाजित नहीं किया जाता है और न उनका ज्ञान ही अलग-अलग दिया जाता है। इसके विपरीत, सब विषयों का ज्ञान किसी उपयोगी शिल्प के द्वारा परस्पर सम्बन्धित करके दिया जाता है। **हँसराज भाटिया** के शब्दों में—''बुनियादी शिक्षा में ज्ञान एक अभिन्न अखण्ड समष्टि (One unified whole) है, और उसका अनेक असम्बद्ध और अनेक बार, परस्पर अभिवर्जित विषयों (Exclusive Subjects) में विभाजन निषिद्ध है।''

10. शिल्प द्वारा शिक्षा (Education Through Craft)—बुनियादी शिक्षा का माध्यम आधारभूत शिल्प (Basic Craft) है। सब विषयों की शिक्षा इसी शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है। आधुनिक युग के सभी शिक्षाशास्त्रियों द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि बालक की शिक्षा का माध्यम कोई उत्पादक कार्य होना चाहिए। उनका मत है कि केवल इसी प्रकार की शिक्षा बालक का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध स्थापित कर सकती है।

अन्त में, हम **टी. एन. सिक्वेरा** के शब्दों में कह सकते हैं—''वर्धा-योजना को भारत की निरक्षरता की महान् समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किए जाने वाले प्रयासों में सबसे साहसी और सम्पूर्ण माना जा सकता है।''

बुनियादी शिक्षा के दोष
(DEFECTS OR DEMERITS OF BASIC EDUCATION)

बुनियादी शिक्षा के कुछ स्पष्ट दोषों की चर्चा आगे की पंक्तियों में की जा रही है—

1. यह शिक्षा नगरों के बजाय ग्रामों के लिए अधिक उपयुक्त है।

2. यह शिक्षा ''उत्पादन के सिद्धान्त'' (Principle of Productivity) पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। अतः बुनियादी विद्यालय, शिक्षण के केन्द्र न रहकर, उद्योग के केन्द्र बन जाते हैं।

3. यह शिक्षा कताई, बुनाई और धुनाई के समान प्राचीन उद्योगों को महत्त्व देती है। इस प्रकार, यह शिक्षा भारत की औद्योगिक उन्नति में बाधक है। यह युग मशीनों का है, न कि हस्तशिल्पों का।

4. यह शिक्षा किसी हस्तशिल्प के माध्यम से बालक को सब विषयों का ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा करती है, जो पूर्णतया असम्भव है। **डॉ0 श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय** के शब्दों में—''केन्द्रीय दस्तकारी के द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है।''

5. यह शिक्षा आधारभूत शिल्प के द्वारा न तो बालक का सर्वांगीण विकास करने में और न उसे सामान्य शिक्षा प्रदान करने में सफल होती है।

6. यह शिक्षा तकली द्वारा कताई पर अत्यधिक बल देती है। तकली से बहुत समय में थोड़ा-सा सूत काता जाता है। इस प्रकार, यह शिक्षा न केवल बालक का समय नष्ट करती है, वरन् उसके लिए महँगी भी पड़ती है।

7. **डॉ0 मुखोपाध्याय** के अनुसार—यह शिक्षा स्वावलम्बी नहीं बन सकती है, क्योंकि बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं से शिक्षक के वेतन का व्यय नहीं निकल सकता है।

8. **डॉ0 मुकर्जी** के अनुसार—''यह शिक्षा, बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों का विकास होने से पूर्व और उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त किए बिना, बालक को अल्प आयु में ही किसी हस्तशिल्प से बाँध देती है।''

9. **झींगरन** व **शर्मा** के शब्दों में—''यह शिक्षा, काल्पनिक है, एक अनावश्यक विश्वास है, एक मनःसृष्टि है और वास्तविक व्यवहार से परे है।''

10. इस शिक्षा में बालक के मानसिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण में किसी प्रकार का सन्तुलन नहीं है।

11. इस शिक्षा में ''उत्पादन के सिद्धान्त'' पर बल दिये जाने के कारण शिक्षकों का नैतिक पतन हो जाता है क्योंकि वे विद्यालयों की फैक्ट्रियों में और बालकों को धन का उपार्जन करने वाली मशीनों में परिणत कर देते हैं।

12. **"Education in India"** (1947-57) के अनुसार—इस शिक्षा में जनता और अध्यापकों को कोई आकर्षण नहीं मिला है। अतः दोनों ने इसका घोर विरोध किया है।

13. **"Modern Review"** (April, 1955) के अनुसार—इस शिक्षा का अभिभावकों ने स्वागत नहीं किया है। उनका कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं न कि कताई-बुनाई और गुड़ाई-निराई करने के लिए।

14. **झींगरन** व **शर्मा** के शब्दों में—''इस शिक्षा में सुस्थिर शिक्षा-दर्शन की अपेक्षा भावुकता अधिक है। इसे गाँधीजी की महानता से प्रभावित व्यक्तियों ने भावुकतावश ही स्वीकार किया है।''

15. **''मूल्यांकन समिति''** के विचार से—''सामान्य धारणा यह है कि बुनियादी विद्यालय साधारण विद्यालय से अधिक महँगा है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का शीघ्रता से प्रचार नहीं किया जा सकता है।

"There is a general view that a Basic School is more costly than an ordinary school. This is followed by the corollary that is why Basic Education cannot be spread quickly."
—*Report of the Assessment Committee on Basic Education*, p. 33.

बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन
(ESTIMATE OF BASIC EDUCATION)

बुनियादी शिक्षा के उपरिलिखित गुणों के आधार पर हम निस्संकोच भाव से यह स्वीकार कर सकते हैं कि दरिद्रता के दानव के चंगुल में फँसे हुए, हमारे देश के लिए यह शिक्षा एक अनुपम वरदान है। यह न तो प्रचलित शिक्षा के समान पुस्तकीय एवं अव्यावहारिक है और न परीक्षा एवं पाठ्यक्रम की जंजीरों में जकड़ी हुई है। जबकि तत्कालीन शिक्षा केवल बालकों के मानसिक विकास की ओर ध्यान देती है, बुनियादी शिक्षा उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए यथेष्ट उद्योग करती है। बुनियादी शिक्षा की सर्वप्रधान विशेषता उसका उत्पादन का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान करके, बालक को अपने भावी जीवन में निश्चित रूप से आत्म-निर्भर और स्वावलम्बी बनाया जा सकता है।

बुनियादी शिक्षा के उपर्युक्त और अन्य गुणों के कारण हमारे देश के अनेक राष्ट्रीय नेताओं और शिक्षा-मर्मज्ञों ने इसका गौरव-गान किया है और नतमस्तक होकर इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है। किन्तु, यदि इस शिक्षा का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाय, तो वास्तविकता कुछ और ही दिखाई देती है। इसका आधारभूत कारण यह है कि बेसिक शिक्षा की योजना यथार्थ जगत से सम्बन्धित न होकर कल्पना-लोक की वस्तु है। **आचार्य कृपलानी** ने तो यहाँ तक कह दिया है–''बेसिक शिक्षा की योजना शिक्षा के क्षेत्र में गाँधीजी की अन्तिम मन:सृष्टि है।''

"The Scheme of Basic Education is Gandhiji's latest fad in the domain of Education."

—Acharya Kriplani

प्रो. यशपाल समिति, 1992-93
(PROF. YASHPAL COMMITTEE, 1992-93)

छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने तथा अधिगम के स्तर को सुधारने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने मार्च, 1992 को एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। इसके निम्नांकित सदस्य थे–

अध्यक्ष–प्रो. यशपाल, भू. पू. चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।

सदस्य–1. प्रो. कृष्ण कुमार, सेण्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजेकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

2. सुश्री दीना गुहा मनोवैज्ञानिक, बम्बई।

3. श्रीमती विभा पार्थ सारथी, प्राचार्य, सरदार पटेल विद्यालय, नई दिल्ली।

4. प्रो. टी. एस. सरस्वती, प्रमुख, बाल विकास विभाग, एस. एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा।

5. प्रो. पोरोमेश आचार्य, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता।

6. डॉ. वी. जी. कुलकर्णी, निदेशक, होमी भाभा विज्ञान केन्द्र, टाटा मौलिक अनुसन्धान संस्थान, बम्बई।

सदस्य सचिव–डॉ. जी. एल. अरोड़ा, निदेशक, एस. सी. ई. आर. टी. (S.C.E.R.T.) डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली।

यह समिति अपने अध्यक्ष प्रो. यशपाल के नाम से भी जानी जाती है। इस समिति ने 15 जुलाई, 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे **"शिक्षा बिना बोझ के"** (Education Without Burden) के

नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट पाँच खण्डों–प्रस्तावना, शिक्षाक्रम के भार की समस्या, समस्या की जड़ें, सिफारिशें तथा परिशिष्टों में विभाजित है। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं–

1. व्यक्तिगत उपलब्धि को पुरस्कृत करने वाली प्रतियोगिताओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. विद्यालयों में सामूहिक गतिविधियों तथा सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेन्द्रकृत होनी चाहिए जिससे इस कार्यक्रम में छात्रों की सहभागिता प्राप्त की जा सके।

4. स्वैच्छिक संगठनों का पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया का सहयोग लेना चाहिए।

5. ग्राम, ब्लॉक तथा जिलास्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में विद्यालयों के नियोजन एवं परीक्षण का कार्य कर सकें।

6. नर्सरी स्कूल खोलने तथा उनके संचालन को विनियमित करने के लिए कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय काम में लाये जाने चाहिए।

7. नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षण तथा साक्षात्कार का प्रचलन रोक दिया जाये।

8. नर्सरी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के मानदण्ड निर्धारित किये जाये।

9. प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता देने के लिए निर्धारित मानदण्डों को अधिक कठोर बनाया जाय।

10. पाठ्य-पुस्तकों को स्कूली सम्पत्ति बनाया जाय। इन पुस्तकों को बालक विद्यालय में प्रयुक्त करें।

11. गृहकार्य पाठ्य-पुस्तक से हटकर दिया जाना चाहिए तथा छात्रों को घर पर गृहकार्य के लिए बारी-बारी से पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

12. प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 कर दिया जाना चाहिए।

13. बालकेन्द्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

14. शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करने के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य कार्यकलापों की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

15. कक्षा 10 तथा 12 के अन्त में होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में पाठ्य-पुस्तक आधारित प्रश्नों के साथ Quiz प्रकार के प्रश्नों तथा संकल्पना पर आधारित (Concept based) प्रश्नों को स्थान दिया जाना चाहिए।

16. भाषा की पाठ्य-पुस्तकों में स्थानीय तथा बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।

17. प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों में प्रयोग की अधिक गुंजाइश होनी चाहिए।

18. 6 से 10 वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान में देश की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को स्थान प्रदान किया जाये।

प्रो. यशपाल समिति की रिपोर्ट को लागू करने की सम्भाव्यता की जाँच के लिए श्री वाई. एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक दस सदस्यीय दल का गठन अगस्त, 1993 को किया गया। इस दल ने